▶ 150 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए, 20 हजार को मिलेगा रोजगार

टेलीकॉम मैन्युफेक्चरिंग जोन: चार माह में शुरू होगा काम, 1 रुपए लीज पर मिलेगी भूमि

● ग्वालियर/ राज न्यूज नेटवर्क

देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को लेकर गुरुवार को चेम्बर भवन में पहली कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें ज्योरथ वेंचर्स इंटरनेशनल के सीईओ प्रमोद यादव और आईकैम्प के अंशुल एस. सक्सैना ने 150 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव एमपीआरडीसी की कार्यकारी निदेशक अनीषा श्रीवास्तव को सौंपे।

एमपीआईडीसी की कार्यकारी निदेशक ने बताया कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का काम अगले 3-4 महीने में काम शुरू हो जाएगा और 2 साल में यह प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा।

प्रोजेक्ट में मध्यप्रदेश सरकार की 51 प्रतिशत और केंद्र सरकार की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उन्होंने बताया कि निवशकों को 30 साल के लिए एक रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से लीज दी जाएगी। बिजली पर पांच साल तक दो रुपए प्रति यूनिट की रिबेट दी जाएगी। इसके अलावा 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी अधिकतम 200 करोड़ रुपए तक दी जाएगी। सरकार की ओर से प्रति कर्मचारी पांच हजार रुपए वेतन और 13 हजार रुपए प्रशिक्षण सहायता भी दी जाएगी। टीएमजेड के लिए 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी अधिकतम 200 करोड़ रुपए दी जाएगी



खास-खास

- 30 जुलाई को केंद्र व राज्य के बीच हुआ एमओयू
- निर्माण लागत-493 करोड़
- अनुमानित निवेश -35 हजार करोड़
- सब्सिडी- अधिकतम 200 करोड़

चेम्बर लगातार भेजेगा सुझाव....

चेम्बर अध्यक्ष डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि निवेश को लेकर यह नवनिर्वाचित टीम का पहला कार्यक्रम है। चेम्बर लगातार बैठकें आयोजित कर निवेशकों के सुझाव संकलित करेगा और उन्हें दूरसंचार विभाग को भेजेगा। मानसेवी सचिव दीपक अग्रवाल ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से यह कार्यशाला संभव हुई है।

एमपीआईडीसी की कार्यकारी निदेशक से सवाल जबाव

देवांग लहारिया-क्या लैब्स के लिए प्लग-एंड-प्ले सुविधा के साथ मशीन एवं उपकरण की लागत भी विभाग की ओर से कवर की जाएगी।

जवाब-इस पर अनीषा श्रीवास्तव ने बताया कि टेस्टिंग लैब के साथ अलग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, जिसका निवेशक उपयोग कर सकेंगे।

अजय चोपड़ा- प्रोजेक्ट शुरू होने और पूरा होने की टाइमलाइन को लेकर सवाल किया।

जवाब- लैंड अलॉटमेंट का कार्य अगले तीन से चार माह में शुरू होगा और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक से दो साल में तैयार हो जाएगा।

क्या होगा खास

- प्लग एंड प्ले टेलीकॉम इकोसिस्टम: 5जी, 6जी, ऑप्टिकल फाइबर, नेटवर्किंग हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर उत्पादों का निर्माण
- एक ही छत के नीचे: डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्यूफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और एक्सपोर्ट की सुविधा
- यहां उद्योग लगाने वाली कंपनियों को स्टाम्प ड्यूटी में 100 फीसदी छूट मिलेगी तथा सिर्फ 2 प्रति यूनिट बिजली मिलेगी

ढाबा संचालक की लाठी-डंडों से पीटा, उपचार के दौरान मौत

ग्वालियर। सिरगेट के उधार पैसे को लेकर हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आधा दर्जन बदमाशों ने ढाबा संचालक की बेरहमी से लाठी-डंडों से मारपीट कर दी। घटना गिरवाई थाना क्षेत्र के एबी रोड स्थित बॉबी ढाबा पर रविवार की है। घायल ढाबा संचालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर गुरुवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।



घाटीगांव स्थित डंडा खिड़क निवासी 38 वर्षीय रामनिवास उर्फ बॉबी गुर्जर पुत्र टीकाराम गुर्जर ढाबा संचालक है और गिरवाई स्थित एबी रोड पर उनका बॉबी ढाबा है। शनिवार को पनिहार कंसेर गांव निवासी साहब सिंह गुर्जर, मेहताब सिंह गुर्जर और विजय सिंह गुर्जर ढाबे पर सिरगेट लेकर गए थे। उन्होंने पैसे नहीं दिए।

रामनिवास ने उधार चुकाने को कहा तो विवाद हो गया। रविवार रात साहब सिंह गुर्जर, मेहताब सिंह गुर्जर और विजय सिंह गुर्जर अपने तीन अन्य साथियों के साथ ढाबे पर पहुंचे। उस समय रामनिवास खाट पर सो रहा था। आरोपियों ने उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। घायल को उपचार के लिए भर्ती कराया। जहां पर गुरुवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

अनुपस्थित चल रहे दो विनियमित कर्मचारियों की सेवा हुई समाप्त

निगमायुक्त ने दो कर्मचारियों को वेतन काटा

● ग्वालियर/ राज न्यूज नेटवर्क

लंबे समय से बिना बताए अनुपस्थित चल रहे दो विनियमित कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के आदेश निगमायुक्त संघ प्रिय ने जारी किए हैं। गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही नोटिस का जबाव देने पर दो कर्मचारियों का तीन-तीन दिन का वेतन काटा गया है।

जारी किए गए आदेशानुसार अनिल बरुआ पुत्र देवेन्द्र बरुआ, विनियमित (अकुशल) कर्मचारी मार्च 2024 से अनुपस्थित है। विभाग द्वारा अनुपस्थित चल रहे बरुआ के विरुद्ध कारण बताओ सूचना 12 जून 2026 को जारी की गई थी। यह सूचना स्पीड पोस्ट से कार्यालयीन रिकॉर्ड में दर्ज पता वार्ड क्रमांक 25 दुर्गा नगर भिण्ड मप्र पर भेजा गया। डाक विभाग द्वारा पत्र बिना तामीली के वापस किए जाने पर 27 जुलाई दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर अन्दर सात दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया था लेकिन कर्मचारी ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी प्रकार रिंकू पिरोनिया पुत्र राम दुलारे, विनियमित (अकुशल) द्वारा 1 जून 2026 को बिना सूचना के अपने कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे हैं। रिंकू के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र 3 जुलाई 2026 को जारी कर डाक कर्मचारी द्वारा कार्यालयीन रिकॉर्ड में दर्ज पता काली माता मंदिर के पास पानी की टंकी सिकन्दर कम्पू कृष्णा कॉलोनी ग्वालियर पर दिया गया। लेकिन यहां पता अपूर्ण बताया गया और जिस मकान का उल्लेख किया गया वह बेचा जा चुका है। टीप अंकित पत्र वापस आ गया। इस संबंध में 27 जुलाई 2026 को समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्पष्टीकरण चाहा गया लेकिन कोई जबाव नहीं मिला। इस देखते हुए निगमायुक्त ने दोनों कर्मचारियों को बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए।

दो कर्मचारियों का तीन दिन का वेतन काटा

वार्ड 47 में सफाई व्यवस्था में लापरवाही मिलने पर क्षेत्र के जेडएचओ एवं डब्ल्यूएचओ को नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस का जवाब न देने एवं कार्रवाई न करने पर दोनों कर्मचारियों का तीन दिवस का वेतन काटा गया। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निगमायुक्त संघ प्रिय के निर्देशन में निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में भ्रमण के दौरान वार्ड 47 करतार होटल के पास मुख्य मार्ग पर डिवाइडर किनारे कचरा प्वाइंट बंद कराने के लिए नोटिस दिया गया था।

कर्मचारी का मोबाइल हैक कर खाते से 5.37 लाख की ठगी

ग्वालियर। महाराजपुरा थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर निवासी पीएचई कर्मचारी का मोबाइल हैक कर साइबर ठगों ने 5 लाख 37 हजार रुपए की चपत लगा दी। घटना 14 अगस्त 2025 की है। ठगी का पता तब चला जब उनके एकाउंट से मंत्रा एप्स के वाउचर खरीदे गए। पता चलते ही पीएचई कर्मी बैंक पहुंचा और शिकायत की। बैंक अधिकारियों ने सहयोग नहीं किया। इधर, ठगों ने उनका खाता खाली कर दिया। ठगी के शिकार कर्मचारी ने मामले की शिकायत क्राइम ब्रांच की साइबर सेल में की। महाराजपुरा थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर, कुशवाह मार्केट के पास रहने वाले प्रेम सिंह नरवरिया पुत्र महाराज सिंह पीएचई कर्मचारी है। उन्होंने क्राइम ब्रांच की साइबर सेल में शिकायत की है कि उनका एचडीएफसी बैंक पिंटो पार्क शाखा में बचत खाता है। साथ ही वीजा क्रेडिट कार्ड भी है। 14 अक्टूबर 2025 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने मंत्रा एप्स के माध्यम से क्रेडिट कार्ड से 15,250 रुपए के वाउचर खरीद लिए। बैंक में शिकायत करने पर कर्मचारियों ने कहा सिस्टम में कोई लेन-देन नहीं दिख रहा।

मेल आईडी बदली, खाते में जोड़ा दूसरा व्यक्ति: इसके बाद प्रेम सिंह के मोबाइल पर ओटीपी और बैंक से कॉल आने लगे। 4 नबंबर 2025 को वह बैंक गया तो पता चला उसकी मेल आईडी हैक कर दी गई है और खाते में प्रकाश कुमार नाम के व्यक्ति को जोड़ दिया गया है। बैंककर्मी आशी गुप्ता के कहने पर प्रेम सिंह ने खाते में बचे पैसों की 3 लाख की एफडी करवा दी। खाते में 17,893.58 रुपये शेष बचे थे।

संविदा शिक्षक की सेवा बहाली का आदेश

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शिक्षा विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता मलखान सिंह के हक में फैसला सुनाया है।

न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने संबंधी 5 जून 2025 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित विभाग को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को एक महीने के भीतर सेवा में बहाल किया जाए। मामला संविदा शाला शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता की मान्यता से जुड़ा हुआ था। याचिकाकर्ता मखान सिंह खुराना ने भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ से बीएड और डीएड की डिग्री हासिल की थी। हालांकि, स्कूटनी के दौरान विभाग ने इस आधार पर उनकी सेवा समाप्त कर दी कि यह संस्थान एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं है।

नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन, डिग्री को लेकर जताया आक्रोश

● ग्वालियर/ राज न्यूज नेटवर्क

कैंसर हिल क्षेत्र में संचालित कॉलेजों के नर्सिंग छात्रों ने लंबित परीक्षाओं, परीक्षा परिणाम और डिग्री से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। मंगलवार को बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं कटोरा ताल स्थित तिरंगा के पास इकट्ठे हुए और प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चला। प्रदर्शन में कैंसर हिल क्षेत्र के कॉलेजों के अलावा शहर के अन्य नर्सिंग कॉलेजों के छात्र-छात्राएं भी शामिल हुए। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि लंबे समय से परीक्षाएं लंबित होने के कारण उनकी पढ़ाई और करियर दोनों प्रभावित हो रहे हैं। छात्रों का कहना था कि जब समय पर परीक्षाएं ही आयोजित नहीं होंगी और परिणाम जारी नहीं किए जाएंगे तो वर्षों की पढ़ाई का क्या लाभ मिलेगा।

फर्जीवाड़े और देरी से करियर प्रभावित होने का आरोप: छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी और कथित फर्जीवाड़े के कारण हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में है। कई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बावजूद परीक्षा और परिणाम के इंतजार में हैं। इसके चलते आगे की पढ़ाई, नौकरी और अन्य करियर अवसरों पर भी असर पड़ रहा है।

18.18 करोड़ की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त

0.606 हेक्टेयर पर पर बने पक्का निर्माण, टीन शेड और दो गोदाम हटाए

● ग्वालियर/ राज न्यूज नेटवर्क

जिला प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए झांसी रोड राजस्व अनुविभाग के ग्राम बाराघाटा क्षेत्र में करीब 18 करोड़ 18 लाख रुपये कीमत की 0.606 हेक्टेयर शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। सर्वे क्रमांक 62 में स्थित इस बेशकीमती सरकारी भूमि पर अतिक्रमणकर्ताओं ने पक्का निर्माण और टीन शेड बनाकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रखी थीं। जमीन पर दो बड़े गोदाम भी बनाए गए थे, जिन्हें किराए पर देकर आय अर्जित की जा रही थी। राजस्व, पुलिस और नगर निगम के संयुक्त दल ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया और जमीन को शासन के आधिपत्य में लिया।एसडीएम झांसी रोड अतुल सिंह के अनुसार, शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण के संबंध में न्यायालय तहसीलदार



वृत्त महलगांव, तहसील सिटी सेंटर द्वारा 5 अगस्त 2026 को अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध बेदखली आदेश जारी किया गया था। आदेश में सात दिवस के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर जिला प्रशासन ने गुरुवार को कार्रवाई की।

संयुक्त दल ने हटाया अतिक्रमण

कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग की टीम ने अतिक्रमण वाले हिस्से को चिह्नित किया। इसके बाद पुलिस बल की मौजूदगी में पक्के निर्माण, टीन शेड और अन्य अतिक्रमण हटाए गए। कार्रवाई के बाद शासकीय भूमि को प्रशासन ने अपने आधिपत्य में ले लिया। मौके पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झांसी रोड, तहसीलदार महलगांव, तहसीलदार मेहरा, राजस्व निरीक्षक, पटवारी सहित पुलिस बल और नगर निगम ग्वालियर का दल मौजूद रहा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। प्रशासन द्वारा सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

ओजी गांजे की तस्करी, दिल्ली का तस्कर दबोचा

हवाई जहाज से लेकर आता था गांजे की खेप, पुलिस कर रही है पूछताछ

● ग्वालियर/ राज न्यूज नेटवर्क

हवाई जहाज से ओजी गांजे की तस्करी के रैकेट पर पड़ाव थाना पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लोकल तस्कर सूरज से पूछताछ के बाद पुलिस ने इस रैकेट के एक अन्य सदस्य को दिल्ली के पालम से दबोचा है। यह तस्कर ही सूरज को गांजे की खेप हवाई जहाज से लेकर आता था। पता चला है कि इसके साथ ही दिल्ली में पांच अन्य साथी भी है, जो ओजी गांजे की सप्लाई करते हैं। ये तस्कर करीब सात लाख रुपए प्रति किलो ग्राम बाजार मूल्य वाले ओजी गांजा की सप्लाई करते हैं।

ज्ञात हो कि विगत आठ अगस्त को पड़ाव थाना पुलिस ने कोषालय के पास स्थित खंडहर के पास गांजा बेचने आए तस्कर सूरज श्रीवास्तव को पकड़ा था और इससे दो किलो आठ सौ ग्राम गांजा बरामद किया था। इसके बाद से ही थाना प्रभारी पड़ाव शैलेन्द्र भार्गव व एसआई दिनेश सिंह तोमर आरोपी से पूछताछ कर जानकारी जुटाई। पूछताछ में एक तस्कर की जानकारी मिली थी।

दो दिन दिल्ली में रही टीम, तब मिला आरोपी

थाना प्रभारी पड़ाव शैलेन्द्र भार्गव ने बताया कि पूछताछ में सूरज श्रीवास्तव ने खुलासा किया था कि उसे गांजे की तस्करी प्रिंस उर्फ आर्यन जायसवाल पुत्र राजेश जायसवाल उम्र 27 साल निवासी - 261, गली नंबर - 10, नवजीवन अकेडमी, मधु विहार, उत्तमनगर वेस्ट, नई दिल्ली करता है, प्रिंस मूल रूप से ग्राम उत्तर पंटी मेहदावल जिला संतकबीर नगर (खलीलाबाद), निवासी है। पता चलते ही एसआई दिनेश सिंह तोमर, प्रधान आरक्षक श्रुति श्रीवास्तव, आरक्षक आकाश, अंकित और अभिषेक की दिल्ली रवाना की गई। दो दिन तक पुलिस घेराबंदी में लगी रही। गुरुवार को तस्कर को पालम से गिरफ्तार कर लिया।

तस्करी के लिए सिर्फ हवाई जहाज का प्रयोग

पुलिस पूछताछ में पकड़े गए तस्कर ने खुलासा किया है कि उसके रैकेट में पांच अन्य साथी भी है, जो अलग-अलग इलाकों में गांजे की तस्करी करते है। तस्करी के लिए वे सिर्फ हवाई जहाज का प्रयोग करते है। जिससे पुलिस उन्हें पकड़ न पाए।

इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, नाबालिग छात्रा को होटल ले जाकर किया रेप

ग्वालियर। साथी के साथ मिलने आया इंस्टाग्राम दोस्त नाबालिग छात्रा को बातचीत के बहाने एक होटल में ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घटना मुरार थाना क्षेत्र के एमएलबी स्कूल के पास मंगलवार की सुबह साढ़े सात बजे से दोपहर एक बजे के बीच की है। वारदात के बाद आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर छोड़कर भाग गया। घटना का शिकार पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। मामले का पता चलते ही परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे जहां पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज किया।सिरोल कॉलोनी निवासी पंद्रह वर्षीय छात्रा ने शिकायत करते हुए बताया कि एक साल पहले उसकी इंस्टाग्राम पर अमित जाटव नामक युवक से बातचीत शुरू हुई थी। छात्रा ने बताया कि बातचीत के बाद वह अच्छे दोस्त बन गए थे।18 अगस्त की सुबह करीब 7:30 बजे वह मुरार में कोचिंग जाने के लिए निकली थी। एमएलबी स्कूल के पास उसका इंस्टाग्राम दोस्त अमित जाटव अपने एक साथी के साथ बाइक से मिला और उसे बातचीत करने का झांसा देकर थाटीपुर क्षेत्र स्थित एक होटल में ले गया। पीड़िता का कहना है कि वह दोस्ती के भरोसे उनके साथ बाइक से होटल पहुंची। वहां अमित जाटव ने उसके साथ गलत हरकत करना शुरू कर दिया।

नोटिस देंगे सीपीसीबी पोर्टल पर पंजीयन के लिए कई बार दिए गए हैं निर्देश

कचरा जनरेट करने वाले 280 संस्थानों ने नहीं कराया पंजीयन, होगी कार्रवाई

● ग्वालियर/ राज न्यूज नेटवर्क

शहर में चिन्हित किए गए बल्क वेस्ट जनरेटरों का सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के पोर्टल पर पंजीयन कराया जा रहा है। नगर निगम द्वारा शहर में कुल 318 बल्क वेस्ट जनरेटरों की सूची तैयार की गई है। इनमें से 34 संस्थानों द्वारा सीपीसीबी पोर्टल पर पंजीयन कराया जा चुका है, जबकि 4 संस्थानों ने स्व-घोषणा के माध्यम से बताया है कि वे बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में नहीं आते हैं। शेष 280 संस्थानों ने अभी तक अपना पंजीयन नहीं कराया है। समय सीमा में पंजीयन नहीं कराने वाले संस्थानों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी।

अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव ने पंजीयन से वंचित सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को सीपीसीबी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे संस्थानों से समन्वय कर उन्हें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2026 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने संस्थानों में उत्पन्न होने वाले गीले कचरे के उचित निस्तारण एवं प्रबंधन की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही कचरे का पृथक्करण, प्रसंस्करण एवं नियमानुसार निस्तारण भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। नगर निगम द्वारा पंजीयन नहीं कराने वाले विभिन्न संस्थानों को नोटिस जारी कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम अधिकारियों ने सभी संबंधित बल्क वेस्ट जनरेटरों से अपील की है कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शीघ्र अपना पंजीयन कराएं तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2026 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें। नगर निगम द्वारा नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इन संस्थानों पर की जाएगी कार्रवाई

इनमें लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ट्रिपल आईटीएम, जीवाजी विश्वविद्यालय, आईआईटीटीएम, डीबी सिटी, तानसेन रेसीडेंसी, मानपुर फेज-1, साक्षी पर्ल, रामकृष्ण आश्रम, एसबीआई सिटी सेंटर, एमपी हाईकोर्ट, सिल्वर स्टेट, पीडब्ल्यूडी ऑफिस एंड रेसीडेंसी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, राज्य सभा प्रबंधन एवं संचार संस्थान, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस, पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संभाग ग्वालियर, पीडब्ल्यूडी क्वार्टर्स, सालासर बालाजी हाइट्स, आरोग्यधाम, नेचर पार्क (नियोटेरिक), गुलमोहर सिटी, सन वैली, रेशमतारा मैरिज गार्डन, एमपीटीसी, ब्लू लोटस, पार्क एवेन्यू एस्टेट, ग्रीन पार्क, एन इलेवन रिसॉर्ट, गोल्डन लोटस, आदित्य रेसीडेंसी, साक्षी इन, आरोग्यधाम अस्पताल, एकाना रिसॉर्ट, मैगपाई रिसॉर्ट, पाम रेसीडेंसी, मुख्य अभियंता परिसर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, बीवीएम, राम वाटिका, स्वस्तिका बैंक्वेट हॉल, द सेलिब्रेशन रिसॉर्ट, मन्नत मैरिज गार्डन, कॉस्मो वैली एवं ब्लू ऑर्चिड सहित अन्य संस्थान शामिल हैं।

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN : L65910KL1992PLC006623
Registered Office: W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16/09/2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुनः सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :

ग्वालियर, सिविल कोर्ट डबरा, 0136080700025220, 5251, 5323, 6205, 6218, 6246, 6256, 6258, 6265, 6266, 6269, 6284, 6307, 6329, 0136080730031950, 1957, 2044, 2129, 2184, 2193, 5790, 5803, 5814, 5822, 5825, 5840, 5841, 5842, 5843, 5844, 5857, 5858, 5859, 5861, 5863, 5864, 5873, 5876, 5885, 5886, 5901, 5924, 5930, 5931, 5940, 5942, 5948, 5957, 5986, 6020, 6021, दस्तक ताज़िया ग्वालियर, 0119160700033131, 3152, 3162, 3165, 3190, 4373, 4378, 4380, 4389, 4390, 4394, 4404, 4424, 4443, 4468, 4473, 4474, 4481, 4482, 4487, 4491, 4497, 4498, 4499, 4527, 4528, 0119160730030853, 0881, 0882, 0884, 0885, 0891, 0896, 0897, 0920, 0922, 0954, 0958, 0963, 0979, 0980, 0981, 0982, 0984, 0985, 0994, 0996, 1005, 1010, 1011, 1013, 1014, 1015, 1025, 1043, 1044, 1046, 1056, 1066, 1089, 1095, इन्दरगंज ग्वालियर, 0119150700032077, 2274, 2562, 3441, 3451, 3464, 3480, 3487, 3490, 3498, 3502, 3503, 3505, 3525, 3547, 3552, 3563, 3564, 3567, 0119150730016200, 1100, 1114, 1116, 1118, 1128, 1144, 1149, 1166, 1189, 1190, 1193, 1198, 1208, 1212, 1213, 1214, 1219, 1234, 1246, 1248, 1250, 1261, 1267, 1273, 1274, 1282, खेडापति रोड ग्वालियर, 0118170700022113, 2125, 2140, 2800, 2815, 2825, 2852, 2856, 2865, 2873, 2875, 2890, 2897, 0118170730030474, 2858, 2863, 2864, 2865, 2868, 2873, 2879, 2880, 2907, 2909, 2910, 2911, 2928, 2944, 2951, 2956, 2961, 2964, 2965, 2969, 2973, 2975, 2977, मोरार - ग्वालियर, 0119690700043623, 4150, 5705, 5708, 5714, 5717, 5732, 5737, 5739, 5753, 5774, 5776, 5779, 5793, 5795, 5799, 5814, 5822, 5838, 5854, 5858, 5863, 5864, 5871, 5883, 0119690730039592, 9594, 9612, 9620, 9634, 9635, 9650, 9652, 9653, 9654, 9666, 9670, 9688, 9690, 9696, 9701, 9702, 9715, 9741, 9743, 9744, 9747, 9751, 9753, 9758, 9766, 9770, 9778, 9840, 9845, 9855, 9865, 9868, 9903, 9909, नया बाजार ग्वालियर, 0122890700041649, 1698, 1704, 1713, 1741, 2798, 2804, 2834, 2838, 2859, 2863, 2870, 2871, 2881, 2897, 2902, 2908, 2918, 2921, 2942, 0122890730023692, 3849, 3969, 9465, 9474, 9502, 9510, 9515, 9522, 9527, 9531, 9532, 9533, 9534, 9550, 9561, 9562, 9567, 9569, 9579, 9580, 9581, 9582, 9584, 9585, 9588, 9590, 9592, 9596, 9598, 9599, 9604, 9606, 9608, 9622, 9640, 9645, 9647, 9655, 9672, 9699, 9715, 9719, 9720, टैगोर नक्षत्र ग्वालियर, 0123210700023121, 3213, 3344, 3396, 4235, 4511, 4512, 4515, 4523, 4531, 4540, 4552, 4561, 4583, 4595, 4598, 4600, 4604, 4605, 4606, 4607, 4622, 4625, 4628, 4629, 4632, 4633, 4640, 4645, 0123210730015924, 8151, 8153, 8209, 8210, 8224, 4134, 4204, 4210, 4212, 4213, 4217, 4221, 4224, 4226, 4243, 4257, 4261, 4264, 4269, 4272, 4275, 4276, 4284, 4296, 4299, 4300, 4301, 4302, 4310, 4317, 4318, 4319, 4330, 4338, 4342, 4343, 4346, 4347, 4348, 4349, 4353, 4354, 4363, 4370, 4380, 4381, 4386, 4388, 4409, 4435, 4438, 0094, थातीपुर, 0117670700053011, 3447, 5277, 5278, 5283, 5287, 5295, 5333, 5340, 5346, 5358, 5364, 5365, 5372, 5373, 5395, 5402, 5411, 5421, 5429, 5430, 5431, 5432, 5444, 5448, 5468, 5476, 5483, 5491, 5496, 5498, 5501, 5505, 5509, 5524, 5529, 5531, 5535, 5544, 5545, 5550, 5559, 5563, 0117670730040355, 0461, 0496, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0596, 0674, 0754, 0825, 0136, 0143, 0153, 0181, 0187, 0194, 0195, 0196, 0200, 0201, 0207, 0213, 0221, 0239, 0252, 0255, 0257, 0281, 0287, 0322, 0326, 0331, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0345, 0346, 0349, 0351, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0384, 0385, 0399, 0400, 0401, 0404, 0413, 0417, 0418, 0419, 0433, 0481, 0483, 0496, 0516, 0517, 0520, 0539, 0560, 0583, विनय नगर ग्वालियर, 0119340700029675, 9788, 9817, 9834, 9844, 9850, 9873, 9884, 0963, 0973, 0976, 0991, 0993, 1001, 1020, 1028, 1032, 1035, 1042, 1047, 1058, 1060, 1082, 1084, 1089, 1093, 1094, 1100, 0119340730019206, 9478, 9566, 3692, 3695, 3711, 3748, 3751, 3755, 3759, 3761, 3768, 3773, 3776, 3788, 3790, 3798, 3802, 3810, 3833, 3841, 0048, शिवपुरी, ए.बी. रोड शिवपुरी, 0135820700022160, 3040, 3066, 3075, 3077, 3078, 3080, 3083, 3087, 3096, 3097, 3106, 3133, 3134, 3141, 0135820730018376, 8396, 8409, 8413, 8422, 8429, 8431, 8437, 8438, 8440, 8444, 8471, 8474, 8476, 8480, 8484, 8514, 8515, 8531, 8532, 8533, 8539, 8540, 8541, 8542, 8578, 8584, करेरा, 0139440700003737, 3994, 4114, 4126, 4137, 4140, 5176, 5179, 5217, 5226, 5233, 5245, 5250, 5263, 5279, 5283, 5291, 5300, 5310, 5312, 5313, 0139440730024107, 4157, 4163, 4165, 4166, 4175, 4179, 4194, 4206, 4215, 4220, 4227, कोलारस शिवपुरी, 0139140700004080, 4082, 4085, 4100, 4101, 4106, 4108, 4119, 4124, 4128, 4135, 4137, 0139140730003079, 5372, 5373, 5374, 5378, 5384, 5394, 5399, 5400, 5401, 5402, 5407, 5420, 5421, 5422, 0069,

ऊपर बताई गई नीलामी में हिस्सा लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नीचे दी गई बातों का पालन करना होगा: इच्छुक बोली लगाने वालों को नीलामी के दिन ही एनईएफटी/आरटीजीएस के ज़रिए 10,000/- रुपये ईएमडी (जो बोली हारने वालों को वापस कर दिया जाएगा) जमा करना होगा। बोली लगाने वालों के पास वैध आईडी कार्ड/पैन कार्ड होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया 9072607147 पर संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.